

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :-770/16

संस्थापन दिनांक:-24/10/16

मध्यप्रदेश राज्य
 द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
 जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रु द्ध

1. योगेश पिता बल्लमसिंह उर्फ बलवानसिंह धुर्वे
 उम्र 25 वर्ष, निवासी हसलपुर,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.) 3
2. राकेश पिला गोवर्धन बेले, उम्र 24 वर्ष
3. नीतेश उर्फ छोटू पिता मनोज बिसन्दा, उम्र 21 वर्ष
 दोनों निवासी छोटी ठानीमाल,
 थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

—: (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 18.11.2016 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त के विरुद्ध धारा 324 अथवा 324/34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उन्होंने दिनांक 08.09.2016 को रात करीब 09:30 बजे थाना आमला से 04 किमी. पश्चिम में ग्राम कन्हड़गांव तिगड्डा मेन रोड नीमझिरी में फरियादी सोनू उर्फ चाटी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 08.09.2016 को रात्रि करीब 9 बजे नीमझिरी से जैतपुर जा रहा था तभी कन्हड़गांव जोड़ नीमझिरी में उसे अभियुक्तगण मिले और उसे पुरानी रंजिश पर से मां बहन की गंदी गंदी गालियां देकर बोले कि मादरचोद तू बहुत सायना बनता है। उसके द्वारा अभियुक्तगण को गाली देने से मना करने पर अभियुक्तगण ने लकड़ी से उसे मारना शुरू कर दिया। मारपीट से उसे सिर, दाहिने हाथ की अंगुलियों में चोट आयी। अभियुक्तगण ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरुद्ध अपराध क. 475/16 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान फरियादी का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण से एक-एक बांस की लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया तथा अभियुक्तगण को

गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 प्रकरण में यह उल्लेखनीय तथ्य है कि फरियादी सोनू उर्फ चाटी का अभियुक्तगण से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्त को धारा 294, 506 भाग-दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्तगण के विरुद्ध लगे धारा 324 अथवा 324/34 भा0दं0सं0 का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्तगण का विचारण किया गया।

4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा-313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

“क्या अभियुक्तगण ने दिनांक 08.09.2016 को रात करीब 09:30 बजे थाना आमला से 04 किमी. पश्चिम में ग्राम कन्हड़गांव तिगड्डा मेन रोड नीमझिरी में फरियादी सोनू उर्फ चाटी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को धारदार वस्तु से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?”

॥ विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ॥

6 सोनू (अ.सा.-1) ने अपने मुख्य परीक्षण में अभियुक्तगण की पहचान करते हुए प्रकट किया है कि घटना रात करीब 9 बजे की है। घटना के समय वह जैतपुर की तरफ जा रहा था तभी रास्ते में उसे अभियुक्तगण मिले और पुरानी बात पर से उसे गालियां देने लगे और उन लोगों के बीच में धक्का मुक्की हुई थी जिससे वह गिर गया था और गिरने से उसे चोट आयी थी। साक्षी ने घटना के संबंध में पुलिस को दी गयी जानकारी प्रदर्श पी-1 को प्रमाणित किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह प्रकट किया है कि उसका अभियुक्तगण से पुरानी बात को लेकर झगड़ा चला आ रहा है और घटना दिनांक को उसका अभियुक्तगण से वाद विवाद और धक्का मुक्की हुई थी।

7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से फरियादी एवं अभियुक्तगण के मध्य घटना दिनांक को वाद विवाद एवं धक्का मुक्की होना प्रमाणित पाया जाता है परंतु युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्तगण ने फरियादी सोनू उर्फ चाटी को उपहति कारित करने का सामान्य आशय बनाया एवं उक्त सामान्य आशय के अग्रशरण में फरियादी को धारदार वस्तु

से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की। निष्कर्षतः अभियुक्तगण योगेश, राकेश, नीतेश उर्फ छोटू को धारा 324 अथवा 324/34 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

8 अभियुक्तगण पूर्व से जमानत पर हैं। अभियुक्तगण द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

9 प्रकरण में जप्त शुदा तीन बांस की लकड़ी अपील अवधि पश्चात् अपील न होने पर विधिवत नष्ट की जावे, अपील होने की दशा में जप्त सुदा सम्पत्ति का निराकरण माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेशानुसार किया जाए।

10 अभियुक्तगण द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)